

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001



96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2235472
Fax No. : 0522-2236716
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 249 केम्प/सु० अ० (स०) / 18

दिनांक 3-8-18

कार्यालय-ज्ञाप

ई-टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु मा० मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की चेक लिस्ट बनायी जाये तथा दि० 07.08.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में आहूत बैठक के दृष्टिगत निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. वित्त नियंत्रक, लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (इ०ए०पी०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (रा०मा०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (इण्डो-नेपाल बार्डर), लो०नि०वि०, लखनऊ।

यह कमेटी वर्तमान में रू० 5 करोड़ तक के कार्यों में प्रयोग किये जा रहे निर्धारित प्रपत्र टी-2 तथा रू० 5 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों में स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट एवं शासन द्वारा विभाग में लागू किये गये उ०प्र० प्रोक्योरमेंट मैनुअल में निविदा तकनीकी मूल्यांकन के निम्न बिन्दुओं को भी संज्ञान में लेगी :-

- i. टी-2 के क्लॉज-25 "Examination of Bids and Determination of Responsiveness.

During the detailed evaluation of "Technical Bids", the Employer will determine whether each Bid (a) meets the eligibility criteria defined in Clauses 3 and 4; (b) has been properly signed; (c) is accompanied by the required securities; and (d) is substantially responsive to the requirements of the bidding documents. During the detailed evaluation of the "Financial Bids", the responsiveness of the bids will be further determined with respect to the remaining bid conditions, i.e., priced bill of quantities, technical specifications and drawings."

- ii. स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के क्लॉज-26 में उल्लिखित "Examination of Bids and Determination of Responsiveness"

During the detailed evaluation of "Technical Bids, the employer will determine whether each Bid (a) meets the eligibility criteria defined in Clause 3 and 4; (b) has been properly signed; (c) is accompanied by the required securities and; (d) is substantially responsive to the requirements of the Bidding documents.

228

During the detailed evaluation of the "Financial Bid", the responsiveness of the bids will be further determined with respect to the remaining bid conditions, i.e., priced bill of quantities, technical specifications, and drawings. A substantially responsive "Financial Bid" is one which conforms to all the terms, conditions and specifications of the Bidding documents, without material deviation or reservation. A material deviation or reservation is one (a) which affects in any substantial way the scope, quality, or performance of the works; (b) which limits in any substantial way, inconsistent with the Bidding document, the Employer's rights or the Bidder's obligations under the Contract; or (c) whose rectification would affect unfairly the competitive position of other Bidders presenting substantially responsive Bids."

iii. उ०प्र० प्रोक्योरमेंट मैनुअल के चैप्टर-14 का भी अवलोकन करेगी।

रु० 5 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट में उल्लिखित बिन्दु को एवं रु० 5 करोड़ से कम लागत के कार्यों हेतु टी-2 के सेक्शन-3 में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन के बिन्दुओं का आंकलन कर प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित दि० 07.08.2018 की बैठक को दृष्टिगत रखते हुए समिति से अपेक्षा है कि समिति दि० 06.08.2018 को समस्त बिन्दुओं का अवलोकन कर एक प्रारम्भिक आख्या उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त बिलम्बतम एक सप्ताह में अपनी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेगी।

3/8/18
(वी० के० सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (इ०ए०पी०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (रा०मा०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (इण्डो-नेपाल बार्डर), लो०नि०वि०, लखनऊ।

3/8/18
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष